

विषय – समकालीन भारत एवं शिक्षा

विषय कोड – GEODL - 2

खण्ड – 3

इकाई – 4

बाल अधिकार : शिक्षा

रूपरेखा				
1.1				परिचय
1.2				उद्देश्य
1.3				बाल अधिकार एवं शिक्षा
	1.3.1			सामान्य परिचय
	1.3.2			प्रकार
1.4				अंतराष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन 1989
	1.4.1			ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
	1.4.2			बाल अधिकार संबंधित विवादास्पद मुद्दे
	1.4.3			बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय
	1.4.4			बाल अधिकार अभिसमय के सामान्य सिद्धांत
	1.4.5			प्रावधान
		1.4.5.1		सामाजिक शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अधिकार
		1.4.5.2		नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रताएं
1.5				सुविधाविहीन बच्चों के अधिकार
	1.5.1			बालिकाओं की शिक्षा एवं अधिकार
		1.5.1.1		वर्तमान भारतीय समाज में लड़कियों की स्थिति व शिक्षा
		1.5.1.2		लड़कियों के लिये विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था
		1.5.1.3		लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास

	1.5.2			विशेष योग्यता वाले बच्चों के (विकलांग बच्चों) के अधिकार
		1.5.2.1		शिक्षा का विकास
		1.5.2.2		शिक्षा योजना परिचय एवं उद्देश्य
		1.5.2.3		प्रावधान
		1.5.2.4		शैक्षिक प्रावधान
		1.5.2.5		सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा के प्रावधान
		1.5.2.6		विकलांगों की शिक्षा कार्यक्रम के घटक
	1.5.3			वंचित बालक
		1.5.3.1		सामान्य परिचय
		1.5.3.2		अर्थ
		1.5.3.3		विशेषतायें
		1.5.3.4		प्रकार
			1.5.3.4.1	सामाजिक रूप से वंचित बालक
			1.5.3.4.2	आर्थिक रूप से वंचित बालक
			1.5.3.4.3	शैक्षिक रूप से वंचित बालक
		1.5.3.5		उपचार
		1.5.3.6		वंचित बालकों की शिक्षा
	1.5.4			बाल श्रम एवं शिक्षा
		1.5.4.1		बाल मजदूरी
		1.5.4.2		बाल मजदूरी के कारण
		1.5.4.3		बाल मजदूरी रोकने के नियम व कानून
	1.5.5			वैकल्पिक विद्यालय
		1.5.5.1		वैकल्पिक विद्यालय परिचय
		1.5.5.2		वैकल्पिक विद्यालय के प्रकार
			1.5.5.1.1	चार्टर एवं मैगनेट विद्यालय

			1.5.5.1.2	विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय
			1.5.5.1.3	स्वतंत्र निजी विद्यालय
			1.5.5.1.4	उपचारात्मक विद्यालय
			1.5.5.1.5	भावनात्मक विकास के बोर्डिंग विद्यालय
1.6				सारांश
1.7				अपनी प्रगति की जांच करें
1.8				संदर्भ

1.1 परिचय –

शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान किया जा सकता है शिक्षा द्वारा ही समाज एक दूसरे व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना का भाव उत्पन्न करता है। भेदभाव को दूर करने व सामाजिक अवसरों की समानता की बात कही जाती है। विद्यार्थियों को मानवता का पाठ पढ़ाकर उच्च जीवन स्तर से जीने को तैयार किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत, सामाजिक व राजनैतिक कर्तव्यों का समुचित ज्ञान कराया जाय व उसे उसका पालन करने हेतु प्रेरित किया जाय। शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा द्वारा सामाजिक व्यवस्था को संतुलित रखा जा सकता है। लेकिन कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव किये जाये जो सामाजिक आवश्यकता की पूर्ती कर सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने शिक्षा प्रसार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। जातिगत भेदभाव समाप्त कर दिया है व किशोर बालक, महिला वर्ग, वंचित वर्ग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण व उनकी शिक्षा के लिये कई प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित किये हैं।

1.2 उद्देश्य –


इस इकाई को पढ़ने के पश्चात।

- ❖ बाल अधिकार व अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार सम्मेलन की भूमिका से परिचित हो सकेंगे।
- ❖ बालिका शिक्षा व उनके अधिकारों से जागरूक हो सकेंगे।
- ❖ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनकी शिक्षा व शैक्षिक प्रावधानों से परिचित हो सकेंगे।
- ❖ वंचित बालकों की शिक्षा योजना से परिचित हो सकेंगे।
- ❖ बाल श्रम व संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को जान सकेंगे।
- ❖ वेकल्पिक विद्यालय उनके प्रकार व उपयोगिता से परिचित हो सकेंगे।

1.3 बाल अधिकार एवं शिक्षा

1.3.1 सामान्य परिचय :- “ बाल अधिकार अर्थात् बच्चों के अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवम्बर 1989 को बाल अधिकार अधिनियम पारित किया। 2 सितम्बर 1990 को विश्व के 151 देशों के प्रतिनिधियों ने बच्चों के विशेष अधिकारों को स्वीकृति दी। भारत भी उनमें से एक था। ये अधिकार बच्चों के सर्वांगीण विकास की पहली सीढ़ी है। ”

“ ये अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जन्म होते ही विश्व के प्रत्येक बच्चे को ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ” बाल अधिकारों की विशेषताएँ निम्न हैं –



1.3.2 :- प्रकार :- 18 वर्ष की आयु तक के विश्व के सभी बच्चे इन अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। ये अधिकार हैं :-

- जीवन जीने का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार।
- शोषण से सुरक्षा का अधिकार।

● **जीवन जीने का अधिकार :-**

- जीवित रहना बच्चों का बुनियादी अधिकार।
- बच्चे को विकास के पूरे अवसर देना राज्य का कर्तव्य।
- बच्चे को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार, परिवारविहीन बच्चों को संरक्षण।
- बच्चों का पालन-पोषण सही हो, यह परिवार का दायित्व, राज्य, माता-पिता को सहायता देगा।
- स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छ जल, सुरक्षित आश्रय।
- पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ।
- जीवन के लिए अन्य खतरों से सुरक्षा का अधिकार।

- शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु राज्य विशेष ध्यान देगा।
- **शिक्षा का अधिकार :-**
 - शिक्षा एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उचित सुविधाएँ एवं साधन पाने का अधिकार।
 - सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।
 - शिक्षा एवं विकास में आने वाली बाधाओं से संरक्षण।
 - बच्चों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति से दूर न करना।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार :-**
 - अपनी आत्मा की आवाज को व्यक्त करने और धर्म का स्वतंत्रता।
 - बच्चों को बिना भेदभाव के मनुष्य को मिलने वाले समस्त अधिकार प्राप्त।
 - समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार।
 - बच्चों की क्षमताओं, अभिरुचियों को विकसित करने हेतु राज्य द्वारा परिवार का मार्गदर्शन।
 - अपनी आयु के अनुसार कानूनी सीमा में अपना संगठन बनाने का अधिकार।
- **शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार :-**
 - बच्चों को सामाजिक सुरक्षा।
 - बच्चों को न करने योग्य कार्यों को करने के लिए मजबूर न करना।
 - बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से सुरक्षा।
 - शोषण और क्रूरता से बच्चों को परिवार से अलग कर देने के विरुद्ध सुरक्षा।
 - सशस्त्र संघर्षों में बच्चों को शामिल करने पर रोक।
 - गैर कानूनी धंधों में बच्चों को लगाने के विरुद्ध रोक।
 - बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया राज्य की देखभाल में।
 - बच्चों को मादक द्रव्यों के उपयोग तथा सभी प्रकार के शोषण और उनके विक्रय, व्यापार से बचाना राज्य का दायित्व।

गतिविधि :-1

बताइए इनमें से कौन-सी बातें बाल अधिकार से संबंधित हैं व कौन-सी उनका उल्लंघन है :-

- आँखों से कमजोर कक्षा में पढ़ रही छात्रा रेखा की आँखों का इलाज करने से डॉक्टर द्वारा आनाकानी करना।
- कक्षा-5 में पढ़ने वाली छात्रा कमला को उसके चाचा द्वारा स्कूल जाने से रोकना।
- 12 वर्ष के एक बच्चे से व्यापारी द्वारा भारी बोझ ढुलवाना।
- स्कूल जा रहे एक बच्चे को किसी व्यक्ति द्वारा पीटे जाने के विरुद्ध पुलिस थाने में शिकायत करना।
- स्कूल में पीने के लिए स्वच्छ पानी की माँग।

1.4. अन्तराष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन—1989

1.4.1 — **ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि** :— बच्चे समाज का असहाय समूह होने के कारण सबसे अधिक प्रतिकूलता का साक्षात्कार करते हैं, इसलिये बाल अधिकारों के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता बढ़ने लगी है। यद्यपि ICCPR तथा ICESCR के अनुच्छेद 10 में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है फिर भी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय बाल अधिकारों को व्यापक स्वरूप एवं आधार प्रदान कराता है।

लीग ऑफ नेशन्स ने 1924 में एक बाल अधिकार घोषणा-पत्र अपनाया। इस घोषणा-पत्र में पहली बार किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के बाल अधिकार का वर्णन किया। इसने सेव दी चिल्ड्रन इन्टरनेशनल यूनियन 1923 द्वारा जारी एक ऐसे ही घोषणा-पत्र का समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप कालान्तर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 अगस्त 1959 को एक बाल अधिकार घोषणा-पत्र अपनाया। इसके अनुसार क्योंकि बच्चों को मानव जाति के भविष्य के रूप में देखा जाता है अतः इनकी देखभाल करते समय समाज वस्तुतः अपने भविष्य में निवेश कर रहा होता है। 1978 में पोलैण्ड ने अभिसमय के लिए एक मसौदा प्रस्तुत किया जो काफी हद तक 1959 के घोषणा-पत्र पर आधारित था। पोलैण्ड के प्रो. एडम लोपाक्ता की अध्यक्षता में एक मुक्त कार्यकारी समूह ने बच्चों के अधिकार पर एक मसौदा तैयार किया। 1978 से 1985 तक बैठकें होती रहीं और 1988 में बाल अधिकार पर मसौदा संयुक्त राष्ट्र महासभा को भेज दिया। पान्डुलेखन प्रक्रिया प्रजातांत्रिक थी इसमें 43 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के सलाहकार के रूप में विभिन्न राज्यों अन्तर-राजकीय संस्थाओं तथा NGOs ने भाग लिया। विकासशील देशों में अल्जीरिया, अर्जेन्टाइना, सेनेगल, वेन्जुअला ने सक्रियता दिखाई।

1.4.2 — **बाल अधिकार संबंधित विवादास्पद मुद्दे** :— बाल अधिकार अभिसमय की पान्डुलेखन प्रक्रिया के दौरान कई विवादास्पद मुद्दे भी उठे। इनमें तीन मुद्दे काफी महत्वपूर्ण थे।

अ) **असहमति का पहला मुद्दा** बच्चों की न्यूनतम आयु की परिभाषा का था। इसमें दो विरोधी समूह थे जिनके विचार इस विषय पर भिन्न थे कि बचपन कब आरम्भ होता है — गर्भधारण के समय अथवा जन्म के समय।

ब) **असहमति का दूसरा बड़ा मुद्दा** धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित था (अनुच्छेद 14)। इसकी प्रारम्भिक रचना, जो नागरिक राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 18 पर आधारित थी, में “अपनी मर्जी का धर्म रखने अथवा अपनाने की स्वतंत्रता” वाक्य निहित किया गया था।

स) **असहमति का तीसरा मुद्दा** जिसके कारण फिर कई समस्याएँ पैदा हुई वह था किस आयु से बच्चों को सशस्त्र संघर्षों में हिस्सा लेने का आज्ञा दी जा सकती है।

1.4.3. — **बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय**— बाल अधिकार अभिसमय उस प्रक्रिया की चरम सीमा है जो 1959 में बाल अधिकार घोषणा-पत्र की स्वीकृति के साथ आरम्भ हुई थी। 30 वर्षों बाद यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर 1989 को अपनाया गया तथा 2 सितम्बर 1990 को लागू हुआ। अभी तक 192 सदस्य राज्यों ने इसे अपनी सहमति प्रदान की है जिसके परिणाम स्वरूप यह विश्व का सबसे

अधिक स्वीकृत अभिसमय कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अन्तर्गत यह पहला मानव अधिकार प्रापत्र है जिसने सही अर्थों में सर्वव्यापकता प्राप्त की है। यह परिणाम इसलिए विलक्षण है क्योंकि बाल अधिकार की धारणा अपेक्षाकृत नई है तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में यह सबसे अधिक व्यापक एकल संधि है।

दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल अपनाने के परिणाम स्वरूप बाल अधिकार अभिसमय का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। 16 मई 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस अभिसमय से संबंधित दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल अपनाएँ। इनमें से पहले प्रोटोकॉल का संबंध सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की भागेदारी से है तथा दूसरा प्रोटोकॉल बच्चों की खरीददारी, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लीलता से संबंधित है। इन प्रोटोकॉल को क्रमशः 18 जनवरी तथा 12 फरवरी 2002 को लागू किया गया। इन दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन आगे किया जाएगा।

1.4.4 – बाल अधिकार अभिसमय के सामान्य सिद्धांत –

1.4.4 – बाल अधिकार अभिसमय के चार सिद्धांत प्रमुख हैं। ये चार सामान्य सिद्धांत अभिसमय की व्याख्या तथा बच्चों से संबंधित सभी कार्यक्रमों को दिशा निर्देश देते हैं।

- ➔ भेदभावहीनता (अनुच्छेद 2)
- ➔ बच्चे का सर्वोत्तम हित (अनुच्छेद 3)
- ➔ उत्तरजीविता तथा विकास (अनुच्छेद 6)
- ➔ भागे दारी एवं बच्चे के दृष्टिकोण का सम्मान (अनुच्छेद 12)

1.4.5 – प्रावधान

बाल अधिकार अभिसमय का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार बाल अधिकार अभिसमय 18 वर्ष से कम आयु वाले प्रत्येक बच्चे पर लागू होता है बशर्ते कि किसी कानून के अन्तर्गत व्यवस्थता इससे जल्दी प्राप्त हो जाने का प्रावधान हो (अनुच्छेद 1)। इस प्रकार यह राज्यों के ऊपर डाल दिया गया कि वे ऐसे उदाहरणों को उचित ठहराएँ जहाँ वयस्कता के लिए 18 वर्ष से कम आयु निश्चित की गई है। प्रारम्भिक परिभाषा, भेदभावहीनता के सिद्धांतों तथा बच्चे के सर्वोत्तम हित के वर्णन के बाद, अधिकारों से संबंधित तात्त्विक प्रावधान आरम्भ होते हैं। इस अभिसमय में वर्णित अधिकारों का सारतत्त्व अंग्रेजी भाषा के 3 पी (3P) अर्थात् **सुरक्षा, प्रावधान तथा भागेदारी**। इस अभिसमय में मानव अधिकारों के सभी परम्परागत क्षेत्रों को निहित किया गया है जैसे नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि। ये सभी अधिकारों की अविभाज्यता, समान महत्व तथा परस्पर मजबूरी पर बल देता है। इन सबका एक अपवाद अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत वर्णित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हैं जिसमें सदस्य राज्यों को अपने उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम सीमा तक एवं जहाँ आवश्यक हो, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ढाँचे के अन्तर्गत आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है।

यह अभिसमय परिवार के महत्व तथा एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर बल देता है जो बच्चों के विकास एवं वृद्धि के अनुकूल हों। प्रस्तावना से लेकर सम्पूर्ण मूल पाठ में, परिवार की भूमिका को काफी महत्व दिया गया है प्रापत्र इस तथ्य को मान्यता देता है कि बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण तथा

सामंजस्यकारी विकास के लिए यह जरूरी है कि वह पारिवारिक वातावरण – सुख शान्ति, प्यार तथा सहानुभूति – में पले। परिवार की व्यापक परिभाषा दी गई है तथा इसमें स्थानीय परम्पराओं के अनुरूप विस्तृत परिवार अथवा समुदाय को भी निहित किया गया है (अनुच्छेद 5)। “बच्चे का सर्वोत्तम हित” तथा “बच्चे के विचारों का सम्मान” के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार तथा वैकल्पिक देखभाल के लिए निम्नलिखित अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किये गये हैं :-

1. माता-पिता के दिशा-निर्देश (अनुच्छेद 5)
2. माता-पिता के दायित्व (अनुच्छेद 18, पैराग्राफ 1 एवं 2)
3. माता-पिता से अलग होने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 8)
4. पारिवारिक पुनर्मिलन (अनुच्छेद 10)
5. बच्चे के लिए जीविका की वसूली (अनुच्छेद 27, पैराग्राफ 4)
6. पारिवारिक वातावरण से वंचित बच्चे (अनुच्छेद 20)
7. गोद लेने से संबंधित प्रावधान (अनुच्छेद 21)
8. गैर-कानूनी हस्तान्तरण तथा गैर-वापसी (अनुच्छेद 11)
9. दुरुपयोग तथा उपेक्षा से मुक्ति (अनुच्छेद 19)
10. शारीरिक एवं मानसिक पुनः प्राप्ति तथा सामाजिक पुनः संगठन (अनुच्छेद 39)
11. स्थापन का आवर्ती पुनः निरीक्षण (अनुच्छेद 25)

अभिसमय कठिन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान भी करता है। निम्नलिखित प्रावधान भिन्न श्रेणियों के बच्चों के लिए किए गए हैं :-

क) संकटकालीन परिस्थितियों में बच्चे –

1. शरणार्थी बच्चों के अधिकार (अनुच्छेद 19)
2. सशस्त्र संघर्षों में बच्चों के अधिकार (अनुच्छेद 38) जिसमें शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक (Psychological) पुनः प्राप्ति तथा सामाजिक पुनः संघटन (Social Integration) के अधिकार भी शामिल हैं (अनुच्छेद 39)

ख) अपराधी बच्चों (Juvenile) के अधिकार –

1. किशोर न्याय का प्रशासन (अनुच्छेद 40)
2. स्वतंत्रता से वंचित बच्चे जिसमें किसी भी प्रकार का बंदीकरण अथवा स्थापन निहित है (अनुच्छेद 37 (बी), (सी), (डी)),
3. मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 37 (ए))।

ग) शोषण की अवस्था में बच्चे –

1. आर्थिक शोषण से मुक्ति (बाल श्रम समेत) (अनुच्छेद 32),
2. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्ति (अनुच्छेद 33),
3. लैंगिक शोषण तथा लैंगिक दुरुपयोग से मुक्ति (अनुच्छेद 34),
4. शोषण के अन्य स्वरूपों से मुक्ति (अनुच्छेद 36),
5. बच्चों की बिक्री, अपहरण अथवा अवैध व्यापार पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 35)।

घ) अल्पसंख्यक समुदाय अथवा मूल निवासी समूहों के बच्चों के अधिकार (अनुच्छेद 30)

— इस भाग में दिए गए अधिकतर अधिकार 'सुरक्षा अधिकार' हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बाल अधिकार अभिसमय का कार्यान्वयन वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों तथा राष्ट्रीय कानूनों के संदर्भ में किया जाना है, यदि वे बाल अधिकारों को प्राप्त करने में अधिक कारगर हैं। अतः अनुच्छेद 1 में बच्चे का अर्थ — 18 वर्ष से कम व्यक्ति के रूप में लिया गया है, हालाँकि विभिन्न देशों में शादी, नौकरी आदि के लिए न्यूनतम आयु से संबंधित कानून भिन्न-भिन्न हैं।

1.4.5.1 — सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अधिकार —

इस संदर्भ में बाल अधिकार अभिसमय निम्न मूल अधिकारों को मान्यता देता है :

- क) उत्तरजीविता तथा विकास (अनुच्छेद 6, पैराग्राफ 2),
 - ख) विकलांग बच्चों के अधिकार (अनुच्छेद 23),
 - ग) स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार (अनुच्छेद 24),
 - घ) सामाजिक सुरक्षा तथा बला देखरेख संबंधी सेवाओं तथा सुविधाओं का अधिकार (अनुच्छेद 26 और 18, पैराग्राफ 3),
 - ङ) एक ऐसे जीवन स्तर का अधिकार जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास के अनुरूप हो (अनुच्छेद 27),
 - च) शिक्षा का अधिकार (व्यावसायिक, प्रशिक्षण तथा दिशा-निर्देश समेत) (अनुच्छेद 28),
 - छ) शिक्षा के उद्देश्य (अनुच्छेद 29),
 - ज) आसन, खेलकूद तथा सांस्कृतिक अधिकार (अनुच्छेद 31)।
- इस श्रेणी के सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अधिकतर 'सुविधा' अधिकार हैं अर्थात् इनका संबंध सेवाएँ तथा सुविधाएँ तथा सुविधाएँ उपलब्ध करवाने से है।

1.4.5.2 — नागरिक अधिकार तथा स्वतंत्रताएँ —

इन अधिकारों का संबंध मूल नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं से है तथा ये बच्चों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने में सहायता करते हैं।

- क) नाम तथा राष्ट्रीयता का अधिकार जिसमें जन्म के बाद पंजीकरण तथा माता-पिता को जानने तथा उनसे देखभाल करवाने का अधिकार सम्मिलित है। (अनुच्छेद 7),
- ख) अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार (अनुच्छेद 8)। बच्चे का अपने माता-पिता को जानने का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है।
- ग) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 13),
- घ) उपयुक्त सूचनाओं तक पहुँच (अनुच्छेद 17),
- ङ) विचार, अन्तः करण तथा धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 14),
- च) समूह बनाने तथा शान्तिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 15),
- छ) गोपनीयता की सुरक्षा (अनुच्छेद 16),
- ज) किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अन्य क्रूर, अमानवीय अथवा निरादर व्यवहार अथवा सजा से मुक्ति का अधिकार (अनुच्छेद 37 (ए))।

इस अभिसमय में बच्चों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकारों के लिए किसी प्रकार के विशिष्ट कर्तव्यों का प्रत्यक्ष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्यतः यह मानकर चला जाता है कि बच्चे समाज का असुरक्षित एवं अति संवेदनशील भाग होते हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व राज्य एवं समाज का है। सदस्य राज्यों का कर्तव्य है कि वे इसके लिए उपयुक्त कानूनों का निर्माण करें, उन्हें लागू करें, बच्चों के कल्याण एवं अधिकारों के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करें, इनके लिए वित्त का आवंटन करें तथा अभिसमय में दिये गये अधिकारों की प्राप्ति के लिए नीतियों का निर्माण करें। इसके अतिरिक्त परिवार, समुदाय, गैर सरकारी संगठनों तथा बच्चों से संबंधित स्थानीय नेटवर्क समुदाय भी बाल अधिकारों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.5 – सुविधा विहीन बच्चों के अधिकार –

1.5.1 – बालिकाओं की शिक्षा एवं अधिकार

प्रारम्भिक शिक्षा और महिलायें :-

प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में भी लड़कियाँ, लड़कों से पिछड़ी हुई हैं। सम्पूर्ण दृष्टि से देखने पर भी 6 से 14 आयु वर्ग की लड़कियों का सकल नामांकन 72.36 है अर्थात् सकल नामांकन की दृष्टि से 22: लड़कियों ने तो कभी विद्यालय के दर्शन ही नहीं किये हैं। 57.95 लड़कियाँ बीच में ही विद्यालय छोड़ जाती हैं। इस तरह विद्यालय में ठहरने एवं कक्षा आठ तक अध्ययन करने वाली लड़कियों का प्रतिशत लगभग 15: ही रह जाता है। यह अत्यन्त सोचनीय स्थिति है। उच्चतर शिक्षा-क्षेत्र में तो लड़कियों की उपस्थिति बहुत कम है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की।

1.5.1.1 – वर्तमान भारतीय समाज में लड़कियों की स्थिति एवं शिक्षा

वर्तमान भारतीय समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति इस तरह की है जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इनमें प्रमुख कारक इस प्रकार है :-

- महिलाओं का रूढ़िगत कार्य-क्षेत्र घर की चारदीवारी होना एवं प्रमुख काम घरेलू काम होना।
- महिलाओं की प्रजनन एवं पालन-पोषण की भूमिका।
- माता-पिता/अभिभावकों का लड़कियों को स्कूल भेजने के प्रति उपेक्षा-भाव।
- लड़कियों की औपचारिक पढ़ाई के प्रति समुदाय एवं अभिभावकों का पूर्वाग्रह।
- घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध की मनोवृत्ति।
- ग्रामीण क्षेत्र में छोटी उम्र में शादी।
- पितृ सत्तात्मक परिवार/समाज-व्यवस्था।
- शिक्षा-क्षेत्र में भी लड़कियों की शिक्षा-व्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम ध्यान होना। हाँ, आजकल यह स्थिति नहीं है। इसके बावजूद अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वाग्रह बहुत कम हुये हैं।

अतः आवश्यक हो गया कि महिला-समानता के लिये महिला-शिक्षा-व्यवस्था के विशेष प्रावधान किये जायें। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर विचार हुआ और इस प्रकार की समानतावादी महिला शिक्षा के लिये अग्रांकित प्रावधान किये गये।

- महिला साक्षरता हेतु विशेष प्रकोष्ठ गठित किये जायें एवं अलग से विशिष्ट अभियान चलाया जाये।
- 6-14 आयु वर्ग की सभी लड़कियों का विद्यालयों में नामांकन किया जाये और उनका विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित किया जाये।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा को विशेष ध्यान दिये जाने वाले समूह में रखा गया है। इसके लिये निम्नांकित युक्तियों को अपनाये जाने का प्रावधान है :-

- समुदाय के लोगों, अभिभावकों को उत्प्रेरित करना एवं गतिशील बनाना।
- समुदाय के लोगों द्वारा नामांकन एवं ठहराव का प्रबंधन।
- गणवेश, छात्रवृत्ति, पाठ्य-पुस्तक, पाठ्य-सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- महिला समूहों का निर्माण एवं उनके द्वारा इस संबंध में सक्रिय प्रयास करना।
- महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिला-शिक्षा को प्रमुखता देना।
- विद्यालयों के प्रबंधन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना।
- पाठ्यक्रम को महिलाओं की अभिवृत्ति एवं अभिरूचियों के अनुरूप बनाना। लड़कियों के लिये अगल विशिष्ट पाठ्यक्रम का प्रावधान करना।
- स्थानीय सन्दर्भानुसार पाठ्यक्रम को ढालना।
- महिला जीवन से पाठ्यक्रम को सम्बद्ध करना।

लोक जुम्बिश, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये निम्नांकित प्रयासों में सफलता मिली है। अतः इस प्रकार के प्रयासों को अपनाये जाने का प्रावधान एवं सिफारिश की गई है।

- नियमित नामांकन अभियान चलाना।
- लड़कियों के लिये विशेष केम्पस एवं ब्रिज कोर्सेज का प्रावधान करना।
- सहज शिक्षा केन्द्र, आंगन विद्यालय जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लागू करना।
- बालिका शिक्षण शिविर विशेषतः किशोरियों के लिये चलाये जाना।
- मकतब/मदरसों में औपचारिक विद्यालयी सुविधायें उपलब्ध कराना।
- समुदाय के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना।
- महिला समूहों का अधिकाधिक उपयोग करना।

लड़कियों के नामांकन हेतु किये गये उपर्युक्त प्रावधानों के अलावा लड़कियों के विद्यालय में ठहराव की दृष्टि से भी युक्तियाँ अपनाई जानी आवश्यक हैं। अतः इस हेतु निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं :-

- नियमित उपस्थिति हेतु समुदाय एवं माता-पिता को उत्प्रेरित करना एवं गतिशील बनाना।
- विद्यालयी पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों को लड़कियों से जीवन सम्बद्ध कर रुचिकर एवं उपयोगी बनाना।

- केम्पस एवं ब्रिज कोर्सेज का संचालन करना।
- नियमित ठहराव अभियान का संगठन एवं संचालन करना। विद्यालय एवं माता-पिता को इस अभियान में सक्रिय करना।
- अच्छी उपस्थिति के प्रोत्साहन की दृष्टि से अच्छी उपस्थिति वाली लड़कियों को 'हरा' रंग आदि प्रदान कर विशिष्ट स्थान प्रदान करना।

शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार हेतु उपाय किये बिना लड़कियों की शिक्षा के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके लिये निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं :-

- विशेष कक्षाएँ लगायी जायें।
- लड़कियों के सीखने के लिये अनुकूल कक्षा वातावरण हो।
- शिक्षकों को लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं उनकी शैक्षिक निष्पत्ति बढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाये। यह शिक्षण फील्ड में ही हो।
- निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाये।

1.5.1.2 – लड़कियों के लिये विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था

व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों का और इनमें भी विशेषतः लड़कियों की अभिरुचियों से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाये। ये पाठ्यक्रम जीवन सम्बद्ध हों।

प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के लिये सुझाये गये उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त अग्रांकित नीतिगत कदमों का प्रावधान महिला-शिक्षा क्षेत्र के लिये आवश्यक रूप से किया गया है।

- शिक्षा, महिला-सशक्तीकरण का सशक्त माध्यम बने।
- समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण एवं उनके समाज में महत्वपूर्ण स्थान को प्रतिपादित करने वाली शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
- महिला-अध्ययन विभिन्न पाठ्यक्रमों का आवश्यक अंग बने।
- महिलाओं की व्यावसायिक-तकनीकी शिक्षा तक पहुँच बढ़े।
- महिलाओं में आत्म-विश्वास एवं अपने प्रति दृष्टि का विकास करने वाली महिला-शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
- महिलाओं में समालोचनात्मक सोच का विकास हो। इस प्रकार का पाठ्यक्रम एवं क्रियाकलाप महिला-शिक्षा के अभिन्न अंग हो।
- पारिवारिक निर्णयों, सामाजिक-राजनीतिक आदि निर्णयों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु प्रावधान किया जाये।
- सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में महिलाओं की समान सहभागिता हो। यह सुनिश्चित किया जाये।
- समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु सामुदायिक, सामूहिक क्रियाकलाप संगठित किये जायें।
- महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाया जाये।

1.5.1.3 – लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास –

- प्रत्येक शिक्षण संस्था महिला विकास के कार्यक्रमों को शिक्षा में प्राथमिकता दे।
- सभी शिक्षकों को महिला-सशक्तीकरण हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।
- महिला-समानता के लिये महिला-शिक्षक अग्रणी भूमिका निभाएँ।
- विभिन्न संवादों, विचार विमर्श, नुक्कड़ नाटकों, प्रदर्शन सामग्री का उपयोग महिलाओं में सामान्य जागृति, स्वाभिमान पैदा करने के लिये किया जाये।
सारांश यह है, कि महिला-शिक्षा को प्रोत्साहित करने, उसे आगे बढ़ाने की दृष्टि से निम्नांकित कदम आवश्यक हैं :-
- महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव,
- महिलाओं को परिवार से समाज तक के सभी कार्यों, निर्णयों में समानता प्रदान करना,
- महिलाओं में जागरूकता लाना,
- महिला-प्रोत्साहन योजनाओं को बढ़ावा देना,
- महिला-सशक्तीकरण कार्यक्रम को आन्दोलन का रूप देना,
- समुदाय, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायत, नगरपालिका आदि में महिलाओं को सक्रिय भागीदार बनाना,
- शिक्षकों को महिला सशक्तीकरण संबंधी विशेष प्रशिक्षण देना,
- शिक्षा के पाठ्यक्रमों में महिला के प्रति सम्मानजनक भाव की वृद्धि से सामग्री का समावेश करना,
- महिला शिक्षा पाठ्यक्रमों को उनकी अभिवृत्तियों, अभिरूचियों एवं जीवन से सम्बद्ध करना,
- समुदाय, खण्ड, जिला, प्रान्त एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिला उत्थान एवं सम्मान का वातावरण तैयार करना,
- महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में सहभागी बनाना,

उपर्युक्त कदमों को साकार रूप देने पर ही हम महिला-शिक्षा को आगे बढ़ा पायेंगे तथा महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर राष्ट्रीय विकास की गति प्रदान कर सकेंगे।

गतिविधि :-

बालिका शिक्षा/स्त्र शिक्षा बढ़ाने हेतु आप क्या प्रयास कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर व वास्तविक रूप में किये जा सकने वाले प्रयासों की सूची बनाये।

अपनी प्रगति की जांच करें :-

प्रश्न-1 बंचित बालक का अर्थ समझाइये?

प्रश्न-2 बंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं?

1.5.2 – विशेष योग्यता वाले बच्चों (विकलांग बच्चों) के अधिकार –

किसी भी सामाजिक एवं शैक्षिक प्रणाली की परिपक्वता की महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि वह समाज अपने विकलांग सदस्यों की ओर कितना ध्यान देता है। यही कारण है कि शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से शिक्षा जगत् में सुधार लाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप शैक्षिक परिवर्तन ने शैक्षिक समस्याओं, नवीन ज्ञान एवं शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शैक्षिक प्रगति के नूतन आयाम प्रस्तुत किये हैं। अतः विकलांग बच्चों के लिए सहायताओं, नवीन उपकरणों व यंत्रों व नवीन प्रणालियों को विकसित रूप प्रदान किया जा रहा है।

सामाजिक परिवर्तन विकास की सबसे पहली आवश्यकता है – शिक्षा का समुचित प्रचार व प्रसार एवं मानव संसाधन का विकास। संसार के सभी देशों में विकलांग बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, इन बालकों की समुचित शिक्षा के लिए प्रचार एवं प्रसार पर अत्यंत बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय विकलांग एवं पुनर्वास सूचना केन्द्र द्वारा विकलांगता व संबद्ध क्षेत्रों के बारे में व्यापक संचार योजना पैकेज तैयार किया गया है।

एन. सी. ई. आर.टी. ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से एक और नई योजना 'शारीरिक व बौद्धिक विसंगतियों वाले बालकों सहित सभी के लिए शिक्षा' की योजना तैयार की है। विकलांग बालकों सहित सामान्य कक्षाओं में सभी बालकों की शिक्षा हो, इसी को 'मुख्य धारा में मिलाना' कहते हैं, जिससे शिक्षा की मुख्य धारा में सभी को तैरने का अवसर मिलता है। इससे विकलांग बालकों की शिक्षा की आवश्यकता की पुष्टि होती है। सारांशतः शिक्षा प्रत्येक बालक को समान अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। यह लोकतंत्र की अनिवार्यता ही नहीं, जिम्मेदारी भी है।

व्यक्तिगत विभिन्नता ही कारण है कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। इनमें अधिकांशतः सामान्य बालक व कुछ विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से इतना अधिक भिन्न होते हैं कि इनको अलग से पहचाना जा सकता है। विशिष्ट बालकों का वर्णन व वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि विकलांग बालक भी विशिष्ट बालकों की ही एक श्रेणी है व सामान्य बालकों से इनका विचलन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है।

1.5.2.1 – विकलांगों की शिक्षा का विकास

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए शिक्षा की हालत बड़ी दयनीय थी। इनकी शिक्षा के प्रति सरकारी क्षेत्र पूर्णतया उदासीन थे। स्वतंत्रता से पूर्व विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रयास किये जा रहे थे, वे प्रमुख रूप से मानव सेवा संघों तथा संस्थाओं द्वारा ही किये जा रहे थे। स्वतंत्रता से पूर्व मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालकों की शिक्षा के लिए बंगाल में दो विद्यालय (एक झारग्राम में तथा एक कुरस्यौंग में) तथा एक विद्यालय बम्बई में था। इस प्रकार, स्वतंत्रता से पूर्व संपूर्ण देश में मानसिक न्यूनतम ग्रसित बालकों की शिक्षा के लिए केवल तीन विद्यालय थे। देश की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम थी।

स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग को इन विकलांगों की शिक्षा का भार सौंपा गया। भारत में सबसे पहले देहरादून में अन्धों के लिए एक विद्यालय खोला गया। धीरे-धीरे इसका विकास किया गया। सन् 1959 में हेरादून के विद्यालय के साथ एक आदर्श विद्यालय संबंधित किया गया।

सन् 1952 में 'भारतीय बाल-कल्याण बोर्ड' की स्थापना की गई। यह बोर्ड विभिन्न प्रकार के विकलांगों की अनेक शैक्षिक तथा व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करता है। विकलांग बालकों के लिए कल्याणकारी कार्य करने की दृष्टि से 'समाज कल्याण बोर्ड' भी अनेक सहायनीय कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1953ई. में की गई थी। केन्द्रीय सरकार को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोग संबंधी मामलों पर परामर्श प्रदान करने हेतु एक 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्' का भी गठन किया गया।

मानसिक रूप से दुर्बल बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल के दोनों ही विद्यालयों का विकास किया गया। इन बालकों के बुद्धि स्तर का पता लगाने हेतु इलाहाबाद की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ने अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ तैयार की।

1.5.2.2 –विकलांगों की शिक्षा योजना एवं उद्देश्य –

विकलांग बालकों की उचित शिक्षा के लिए उन्हें समस्त सुविधाओं से युक्त पृथक् विद्यालय में रखा जाना चाहिए। इल बालकों की शिक्षा के लिए विद्यालय में विशेष कक्षा की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि इन्हें विशेष विद्यालय में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी तो इनमें आत्महीनता की भावना भी विकसित न होगी। नियमित विद्यालय में रहने के कारण इन बच्चों को शिक्षा की अच्छी सुविधा भी प्राप्त हो जायेगी। हाँ, यह अवश्य है कि छोटी अवस्था में ही ये बच्चे माता-पिता से अलग अवश्य हो जाते हैं और उनके प्यार के अभाव का एहसास करते रह जाते हैं। किन्तु विशेष विद्यालय के शिक्षक का कर्तव्य है कि वह इन बच्चों को माता-पिता का भी प्रेम प्रदान करते रहें। यदि सभी विकृतियुक्त बालकों को एक स्थान पर रहने की व्यवस्था भी कर दी जाये तो और अच्छा हो, इससे इनमें किसी प्रकार की ऐसी संवेगात्मक भावना पैदा न होगी तथा एक स्थान पर रहने के कारण वे एक-दूसरे को देखा-देखी बहुत सी बातें सीख जायेंगे।

विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं –

1. सामान्य शिक्षा प्रदान करना
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना—
3. अवकाश के समय का सदुपयोग करना
4. विकलांग अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों का विकास करना

1.5.2.3 –विकलांगों के लिए प्रावधान

भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के पश्चात् से 10 वर्षों के अंतर्गत सभी राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए जीवनयापन, शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बालकों व विकलांग बालकों के लिए किये गये प्रावधान का वर्णन किया गया। “जो बच्चे विकलांग हों या विक्षिप्त भावनाओं वाले हो या जिनका मानसिक विकास कम हुआ हो, उनको विशेष उपचार, शिक्षा पुनःस्थापन और देखभाल की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।” शिक्षा वर्तमान

तथा भविष्य के लिए एक अद्वितीय विनियोजन हैं? इस नीति के अनुसार अनुमानतः 5 प्रतिशत विकलांग बच्चे ही विशेष विद्यालयों में शिक्षा एवं रोजगार हेतु सुविधाएँ पाते हैं, अतः इन्हें सामान्य बालकों के साथ सहभागी के रूप में समन्वयन करके उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना है, जिससे वह “शिक्षा की मुख्यधारा में सबके साथ तैर सकें।”

1.5.2.4 – विकलांगों के लिये शैक्षिक प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामान्य बच्चों के साथ मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल एवं छात्रावासों का प्रावधान किया गया है। विकलांग बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिये शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाये तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये किये जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन योजना में विकलांगों की शिक्षा के लिये अनेक उपाय सुझाये गये हैं, जिनमें प्रमुख हैं –

- ➔ शिक्षकों को सर्विस के दौरान विशेष प्रशिक्षण देना,
 - ➔ प्रशासकों के लिये अभिनवन कार्यक्रम
 - ➔ एस.सी.ई.आर.टी. तथा डाइट्स जैसी संस्थाओं में पर्यवेक्षीय क्षमता का विकास,
 - ➔ सहायक उपकरण पाठ्यपुस्तकें, निःशुल्क गणवेश आदि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की बात भी की गई है।
 - ➔ वैकल्पिक सीखने की सामग्री का विकास, टीचर्स हैंडबुक तथा संदर्शन का प्रबन्धन,
 - ➔ जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं का विकास विशेषतः मानसिक विकलांगता की जाँच के लिये
 - ➔ स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय से सहायता लेना।
- कुछ अन्य प्रावधान इस प्रकार सुझाये गये हैं –

- ➔ सहायक सामग्री एवं उपकरणों का प्रावधान,
- ➔ 50 प्रतिशत रुपये प्रति माह वाहन भत्ता,
- ➔ 10 विकलांग बच्चों वाले विद्यालय को स्कूल रिक्शा खरीदने हेतु धनराशि उपलब्ध कराना,
- ➔ विकलांग बच्चों वाले विद्यालयों में विद्यालय भवन को विकलांग बच्चों के अनुकूल बनाना,
- ➔ विद्यालय में उपस्थिति को प्रोत्साहित करना,
- ➔ ऐसे बच्चों को पूर्व प्रारंभिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से तैयार करना,
- ➔ ऐसे बच्चों की प्रवेश आयु को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8-9 वर्ष करना,
- ➔ जिला एवं उपखण्ड स्तर पर विशेषज्ञ विद्यालयों की व्यवस्था करना,
- ➔ इनके लिये व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र भी विद्यालय के साथ या अलग से स्थापित करना,
- ➔ इनके लिये अलग से छात्रावास व्यवस्था करना,

- ➔ मनोवैज्ञानिकों तथा डॉक्टरों की व्यवस्था करना,
- ➔ विकलांगों के लिये इनकी शारीरिक मानसिक अवस्थानुसार पाठ्यक्रम बनाना,
- ➔ परीक्षा प्रणाली में लचीलेपन की व्यवस्था करना,
- ➔ विकलांग बच्चों के शिक्षण में टेक्नॉलॉजी का अनुप्रयोग करना,
- ➔ विकलांग शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

नई शिक्षा नीति की समीक्षा समिति ने अपनी तरफ से सिफारिश कर विशेष प्रावधानों की बात की है।

1. विकलांग बच्चों की समस्याओं, उनका विस्तार तथा उनके प्रकार के संबंध में लोगों को अवगत कराया जाये।
2. विकलांग बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाये।
3. ऐसे बच्चों के लिये जो शैक्षिक तन्त्र हो वह लचीला हो। उसमें विभिन्न विकल्प— सामान्य स्कूल, विशेष स्कूल, ओपन स्कूल होम डे स्कूल, व्यावसायिक केन्द्र आदि हो।
4. श्रवण शक्ति जिनकी समाप्त हो गई हो – उन बच्चों के अनुकूल विशेष शिक्षा व्यवस्था हो।
5. नेत्रहीन बच्चों को भारतीय ब्रेल प्रणाली से पढ़ाया जाये तथा शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षित किया जाये।
6. अंशतः मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिये विशेष प्रकार की पाठ्यचर्या विकसित की जाये।
7. मानसिक रूप से विकलांगों के लिये व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
8. सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विकलांगों की शिक्षा को शिक्षा शास्त्र तथा पद्धति तंत्र का अंग बनाया जाये।
9. शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान भी प्रशिक्षण दिया जाये।
10. डाइट्स में विकलांग बच्चों के प्रशिक्षण की अलग संकाय हौ।
11. विशेष स्कूलों की भूमिका सुस्पष्ट रूप से निर्धारित की जाये।
12. विकलांगों के लिये विकसित प्रौद्योगिकी का इनकी शिक्षा में अनुप्रयोग किया जाये।
13. विकलांगों की समस्याएँ, आवश्यकताएँ एवं उनकी पूर्ति के संबंध में निरंतर अनुसंधान किया जायें।

1.5.2.5 – सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांगों की शिक्षा के लिये प्रावधान

सर्व शिक्षा अभियान ने विकलांग बच्चों को “चिल्ड्रन विद स्पेशलनीड्स” नाम दिया है। इन बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से इन्हें “स्पेशल फोकस ग्रुप” के अंतर्गत स्थान दिया है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य यह है कि किसी भी श्रेणी एवं किसी भी अंश का विकलांग बालक प्रारंभिक शिक्षा

से वंचित न रहे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये सर्व शिक्षा अभियान ने उपागम तथा विकल्प तय किये हैं जो इस प्रकार हैं –

- सामान्य विद्यालयों में सभी विकलांग बच्चों को एकीकृत तथा सम्मिलित शिक्षा दी जाये।
- मुक्त विद्यालयों में मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जाये।
- अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
- दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जाये।
- विकलांगों के लिये संचालित विशेष विद्यालयों द्वारा शिक्षा अंशकालीन कक्षाओं द्वारा शिक्षा, समुदाय आधारित पुनः स्थापन शैक्षिक कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा तथा सहकारी कार्यक्रमों द्वारा आदि प्रमुख हैं।

1.5.2.6 – विकलांगों की शिक्षा कार्यक्रम के घटक –

विकलांगों की शिक्षा कार्यक्रम के लिये निम्नांकित क्रियाकलाप इस शिक्षा के घटकों का रूप से सकेंगे।

1. विकलांग बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में खोज एवं पहचान –
2. व्यावहारिक तथा औपचारिक मूल्यांकन
3. शैक्षिक स्थापन –
4. सहायक सामग्री एवं उपकरण
5. सहायता सेवायें –
6. सघन शिक्षक प्रशिक्षण
7. विशेषतः प्रशिक्षित स्त्रोत शिक्षकों की नियुक्ति की जाये –
8. वैयक्तिक शैक्षिक योजना
9. माता-पिता का प्रशिक्षण एवं समुदाय का उत्प्रेरण एवं संचालन

गतिविधि :-

अपने विद्यालय के आसपास किसी एक विशेष विद्यालय का सर्वेक्षण करें। विद्यालय की समस्याओं आवश्यकताओं का पता लगाएं व समाधान हेतु एक रिपोर्ट तैयार करें

अपनी प्रगति की जांच करें :-

प्रश्न – 1 विशेष योग्यता वाले बच्चों हेतु कौन सी शिक्षा योजना चलाई जा रही है। व उनके उद्देश्य क्या हैं ?

प्रश्न – 2 विशेष योग्यता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित शिक्षा के प्रावधानों पर चर्चा करें ?

1.5.3 – वंचित बालक

1.5.3.1 सामान्य परिचय – प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं की सीमा तक करें और शिक्षा का यह उद्देश्य ही नहीं वनन् कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक का विकास पूर्णतः हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। वे विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, जैसे—अर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है और उनके विकास में गतिरोध आ जाना है। इस प्रकार क्षमता रखने पर भी वे वातावरणात्मक सुविधाओं के अभाव में विकास नहीं कर पाते। यह शिक्षा के क्षेत्र के अन्तर्गत ही आता है कि वह ऐसे सामान्य बालकों से भिन्न वंचित बालकों की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध करें।

1.5.3.2 – वंचित का अर्थ

वंचन का तात्पर्य है कि जब किसी बालक की समाज में रहते हुए, उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके, उनसे उसे वंचित रहना पड़े तक वह वंचित बालक होता है। वंचन शब्द का प्रयोग अनेक सन्दर्भों में किया जाता है। सामान्यतः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असुविधाओं की ओर वंचन का प्रत्यय संकेत करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक वंचन के लिए “दरिद्रता की संस्कृति” या “सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित” प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वंचन की एक सटीक परिभाषा देना थोड़ा जटिल इसलिए है कि यह एक अत्यन्त व्यापक सम्बोध है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गयी कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।

वोलमैन – “वंचन निम्नस्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है।”

गार्डन – “वंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है।”

वंचन वास्तव में आवश्यक और अपेक्षित अनुभव उद्दीपकों का अभाव है। ये उद्दीपक बालक के सामाजिक, अर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं और इनके अभाव में बालक वांछित विकास नहीं कर पाता। अतः वंचन की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है।

वंचन सामाजिक, अर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े आवश्यक एवं अपेक्षित अनुभव उद्दीपकों का अभाव है जिसके फलस्वरूप बालक का वांछित विकास नहीं हो पाता है।

1.5.3.3 – वंचित बालक की विशेषताएँ –

सामान्यतया वंचित बालक की निम्नलिखित विशेषताएँ सामने आती हैं :—

- ➔ सामाजिक—आर्थिक स्तर निम्न होता है।
- ➔ सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है।
- ➔ मूल्य स्तर छोटा होता है।

- ➔ सांसारिक ज्ञान की कमी होती है।
- ➔ अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ रहता है।
- ➔ चिन्ता और भय की मात्रा अधिक होती है।
- ➔ हीन भावना से ग्रसित रहता है।
- ➔ आकांक्षा स्तर निम्न होता है।
- ➔ नकारात्मक स्वबोध से पीड़ित रहता है।
- ➔ जातीय स्तर अल्पसंख्यक स्तर का होता है।
- ➔ बौद्धिक स्तर निम्न होता है।
- ➔ वाचिक योग्यता निम्न होती है।
- ➔ समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं हो पाती है।
- ➔ स्मृति तीव्र नहीं होती है।
- ➔ गहराई प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्षात्मक प्रभेदन निम्न स्तर का होता है।
- ➔ सूचना संसाधन में विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की न्यूनता रहती है।
- ➔ शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तरीय होती है।
- ➔ रुचियों का क्षेत्र सीमित होता है।
- ➔ असुरक्षा की भावना से पीड़ित रहते हैं।
- ➔ समय सन्दर्भ में भविष्य की ओर दृष्टि नहीं होती है।
- ➔ परिवर्तन का अभाव होता है।
- ➔ संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं।
- ➔ अन्तर्मुखी होते हैं।
- ➔ रूढ़िवादी, निराशावादी तथा अवसादयुक्त होते हैं।
- ➔ पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं।
- ➔ जीवन के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को रखते हैं।
- ➔ निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है।

1.5.3.4 – वंचित बालक के प्रकार –

वंचित बालकों के निम्नलिखित प्रकार हैं :-

1. सामाजिक रूप से वंचित बालक
2. आर्थिक रूप से वंचित बालक
3. शैक्षिक रूप से वंचित बालक

1.5.3.4.1 – सामाजिक रूप से वंचित बालक

सामाजिक रूप से वंचित बालक वे होते हैं जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं :-

1. सामाजिक रूप से निम्न (जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर)
2. सांस्कृतिक स्तर से निम्न
3. घर का बिगड़ा माहौल व सुविधाओं का अभाव
4. पड़ोस व सभी साथियों का दुष्प्रभाव
5. संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं।

1.5.3.4.2 – आर्थिक रूप से बालक

1. गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण
2. आर्थिक रूप से निम्न
3. परिवार में खाने व रहने का अभाव
4. विद्यालय जाने में असमर्थ व विद्यालय फीस न दे पाना
5. धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाले।

1.5.3.4.3 – शैक्षिक रूप से वंचित बालक

1. निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है।
2. अन्तर्मुखी व संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं।
3. आत्मप्रेम व प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है।
4. समस्या समाधान नहीं कर पाते।
5. असुरक्षा की भावना से पीड़ित तथा विद्यालय में समायोजित नहीं होते।
6. विद्यालय सामग्री व पुस्तकों के अभाव में पढ़ नहीं पाते।
7. सुविधाओं के बाद भी खराब आदतों के कारण पढ़ने से वंचित।
8. स्मृति व रूचि के प्रभाव के कारण न पढ़ पाना।

1.5.3.5 – वंचित बालकों के उपचार

वंचित बालक सामान्य बालकों से भिन्न अवश्य होते हैं परन्तु वे हीन, किसी भी दृष्टि से नहीं हैं। उनकी अक्षमता स्वयं की न होकर वातावरण की है। वातावरण में सुधार ही उनकी शिक्षा का उद्देश्य व आधार है। अतः वंचित बालक को जिस बात की आवश्यकता है वह है एक कुशल निर्देशन और शिक्षा। वंचित के उपचार हेतु इन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वंचित बालकों के उपचार						
कक्षा – कक्ष	विशेष योजनाएं	दृश्य श्रव्य	सांस्कृतिक प्रोग्राम	सुविधाएं	विशेष विद्यालय	मनोवैज्ञानिक

अधिगम		सामग्री	तथा सरस्वती यात्राएं			उपचार
-------	--	---------	----------------------	--	--	-------

1.5.3.6 – वंचित बालकों की शिक्षा

सामाजिक, अर्थिक तथा शैक्षिक रूप से वंचित बालक के लिए आवश्यक है कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाये। इसके लिए निम्न पद लिये जाने चाहिए :-

1. 6-14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा।
2. सामाजिक रूप से वंचित बालक को ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिया जाये जहाँ विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हों जो उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हों।
3. सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाये।
4. शिक्षण संस्था का वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए।
5. घर के अश्लील वातावरण की क्षतिपूर्ति विद्यालय में स्वस्थ तथा विविध प्रकार की सहगामी क्रियाओं द्वारा की जाये।
6. ऐसी पठन सामग्री उपलब्ध करायी जाये जो एकता तथा समन्वय की भावना को जाग्रत करे।
7. व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन किया जाय।
8. हीनता की भावना रोकने के लिए जातिगत आरक्षण के बजाय वर्गगत सुविधाएँ दे तथा बच्चों में स्वतन्त्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति डालें।
9. कक्षा शिक्षण में शिक्षक उनके ऊपर विशेष ध्यान दें और इस ओर से सावधान रहें कि उनके अनुभव को ध्यान में रखकर ही वह अपने विषय की व्याख्या कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त भी वंचित बालकों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक शैक्षिक योजना चलायी जानी चाहिए। उसमें गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले बालकों के लिए एक शिक्षा योजना तैयार की जाय। जैसे :-

1. निःशुल्क शिक्षा।
2. आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था।
3. छात्रवृत्ति व आर्थिक सहायता।
4. छोपहर का भोजन।
5. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व अन्य सामग्री व इसके साथ ड्रेस भी दी जाय।
6. इसमें वंचित वर्ग में जाति व धर्म के बजाय आर्थिक स्तर को प्रमुखता दें।
7. पिछड़े, आदिवासी व साधनविहीन क्षेत्रों में अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाय जिनमें वंचित बच्चों को प्रवेश मिल सकें।
8. वंचित बच्चों के शिक्षक को भावात्मक रूप से प्रशिक्षित करना ताकि वे ऐसे बच्चों के साथ अपने को जोड़ सकें व उनको दयनीय न समझें।

यदि इन नीतियों का सही ढंग से अनुपालन किया जाय तो वह दिन दूर नहीं कि समस्त वंचित बच्चों की शिक्षा का स्वप्न पूरा होगा।

संक्षेप में, एक वंचित बालक की समुचित शिक्षा का भार समाज को वहन करना है। विद्यालयों की इस क्षेत्र में महती भूमिका है। अध्यापकों और शिक्षाविदों को चाहिए कि वे वंचित बालकों के वातावरण में सुधार लाकर उन्हें एक समुन्नत व्यक्तित्व-विकास का प्रत्येक अवसर प्रदान करें।

गतिविधि :-

अपने क्षेत्र के आस-पास के किसी वंचित बच्चे की केस स्टडी बनाये। कारण, परिवेश व समाधान पर विस्तृत चर्चा करें।

अपनी प्रगति की जांच करें :-

प्रश्न-1 वंचित बालक का अर्थ समझाइये?

प्रश्न-2 वंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं?

1.5.4 – बाल श्रम एवं शिक्षा

1.5.4.1 बाल मजदूरी

व्यक्तिगत सरकारें या आमतौर पर बालकों को हानि पहुँचाना या उन्हें किसी तरह का शारीरिक, मानसिक, नैतिक रूप से हानि पहुँचाना तथा उनकी शिक्षा में बाधा/अवरोध डालना और उनसे काम करवाना “ बाल श्रम या बाल मजदूरी ” कहलाता है।

बाल मजदूरी बालकों के शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को रोकता है। जो बच्चे की वृद्धि को स्थाई रूप से विकृत कर सकता है।

जैसे – किसी बच्चे के झुख कर काम करने से उसकी पीठ में परेशानी हो सकती है।

बालकों द्वारा किए जाने वाले सभी काम बाल मजदूरी में नहीं आते हैं। उनके विद्यालय व आराम में बाधा न पहुँचाते हुए माता पिता द्वारा खाली समय में काम करवाना बाल श्रम में नहीं आता है।

सरकार के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नौकरी पर रखना या पैसे देकर किसी तरह का कार्य करवाना बाल श्रम (बाल मजदूरी) कहलाती है। जो कि दण्डनीय अपराध है। बाल मजदूरी से बालकों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। 2000 में आईएलओ का अनुमान है कि 246 मिलियन बच्चे 5 से 17 वर्ष की आयु के कार्यकर्ता में बाल श्रम में शामिल थे।

युनीसेफ के अनुसार – बाल मजदूरी को तीन भागों में बांटा गया है.....

1. शारीरिक रूप से।
2. सर्वेगात्मक रूप से।
3. सामाजिक, भावनात्मक व नैतिक रूप से।

बाल मजदूरी के कारण समाज व देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है तथा बालकों का भी समाज में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता जिससे कई परेशनी उत्पन्न होती है जो कि निम्न है.....

- ➔ 1. देश के विकास में सहयोग नहीं।
- ➔ 2. देश के विकास से होने वाले लाभ का फायदा नहीं ले पाना।
- ➔ 3. तनाव की स्थिति।
- ➔ 4. व्यस्क बेरोजगारी।
- ➔ 5. अपने अधिकारों से वन्चित रहना।
- ➔ 6. आर्थिक तंगी/धन का अभाव।
- ➔ 7. कुपोषण/बिमारियों का फैलना।
- ➔ 8. बच्चों का शोषण।
- ➔ 9. मानसिक विकृतियाँ।
- ➔ 10. बच्चों के गुणों का दमन।
- ➔ 11. नशे की तरफ झुकाव।
- ➔ 12. आत्महत्या व नकारात्मक सोच का बढ़ना।
- ➔ 13. राजनैतिक अस्थिरता।

1.5.4.2 बाल मजदूरी के कारण

1. आर्थिक परिस्थितियाँ।
2. असाक्षरता/शिक्षा की कमी।
3. बंधुआ मजदूर।
4. विद्यालयों का उपलब्ध न होना।
5. बच्चों पर ध्यान न देना।
6. बच्चों को आकर्षित न कर पाने वाला पाठ्यक्रम।
7. सस्ती दरों पर उपलब्ध मजदूर।
8. बाल श्रम को रोकने वाले कानूनों में ढीलापन।
9. परम्परा।
10. अमीर बनने का लालच।
11. महंगाई।

1.5.4.3 बाल मजदूरी को रोकने के नियम व कानून

बाल मजदूरी करवाना एक दण्डनीय अपराध है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार ने कई संस्थाएँ एवं समितियाँ बनाई व कई कठोर कानून एवं एक्ट भी बनाएँ हैं जो कि बालकों के हित के लिए कार्य करते हैं। सरकार ने 1998 में “ **चाइल्ड लेबर एक्ट** ” बनाया। जिससे कि बाल मजदूरी को

रोका जा सकें तथा मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए “ बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति ” बनाई गई है।

सरकार ने बाल मजदूरी रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं.....

1. 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को काम पर रखना मना।
2. हर घन्टे के बाद 1 घन्टे का ब्रेक दिया जाए।
3. सप्ताह में 1 दिन का अवकाश।
4. शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करवाना मना।
5. बालकों को भारी बोझ वाले कामों से दूर रखा जाए।
6. बालकों को कारखानों में पाई गई भारी व हानिकारक मशीनों व रसायनों से दूर रखा जाए।

गतिविधि –

अपने क्षेत्र छोटे-छोटे ढावों, चाय की दूकानों आदि का सर्वे करें। देखें कि कितने छोटे, मुन्नी, चन्टू बाल मजदूरी का कार्य कर रहे हैं उनके माता-पिता से संपर्क करें, उन्हें बाल मजदूरी के प्रावधानों से अवगत करायें।

अपनी प्रगति की जाँच करें

- प्रश्न 1— बाल मजदूरी पर एक विस्तृत निबंध लिखें।
प्रश्न 2— बाल मजदूरी दूर करने के सुझाव लिखें।

1.5.5 – वैकल्पिक विद्यालय

1.5.5.1 – परिचय

वैकल्पिक शिक्षा अर्थात् गैर पारंपरिक शिक्षा अथवा शैक्षिक विकल्प एक व्यापक शब्द है जो शिक्षा के पारंपरिक रूप के अतिरिक्त सभी शिक्षा के रूपों का उल्लेख करने के लिये प्रयोग किया जाता है। इसमें न केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा सम्मिलित है बल्कि सामान्य जन हेतु उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा भी सम्मिलित की जाती है। वैकल्पिक शिक्षा मूलरूप से पारम्परिक व अनिवार्य शिक्षा से भिन्न है ऐसे अध्यापक व विद्यार्थी जो परंपरागत शिक्षा के कुछ पहलुओं से असंतुष्ट हैं, वैकल्पिक पाठशाला चार्टर स्कूल, स्वतंत्र पाठशाला, घर पर शिक्षण आदि पर जोर देते हैं। वैकल्पिक विद्यालय की स्थापना बच्चों की व किशोरों की आवश्यकता व कठिनाईयों जैसे अधिगम निर्योग्यता, चिकित्सा संबंधि, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक व प्रगतिशील कोशल से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुये 1970 के दशक

में की गयी। इसके लिये ऐसे पाठ्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिससे बालक की विशेष आवश्यकता जैसे स्वयं यथार्थीकरण वैयक्तिकता को बढ़ावा देना, सामाजिक कोशल को बढ़ावा देना आदि की पूर्ति हो सकें। वैकल्पिक विद्यालय में संगठनात्मक व प्रशासनिक तौर पर ज्यादा लचीलापन पाया जाता है साथ ही इसमें शैक्षिक कार्यक्रमों की ज्यादा विविधता पायी जाती है।

वैकल्पिक विद्यालय की संरचना व पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य व छात्रों की आवश्यकता के आधार पर बनाये जाते हैं।

1.5.5.2 – वैकल्पिक विद्यालय प्रकार

वैकल्पिक शिक्षा ऐसे बच्चों को दी जाती है, जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ देते हैं व उसकी शिक्षा बीच में ही रुक जाती हैं। ऐसे बच्चों को उनकी आयु व आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जाती है। विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विद्यालय निम्न हैं।

- ➔ चार्टर स्कूल, मेगनेट स्कूल
- ➔ विशेष आवश्यकता वाले स्कूल
- ➔ स्वतंत्र निजी स्कूल
- ➔ उपचारात्मक स्कूल
- ➔ भावनात्मक विकास के बोर्डिंग स्कूल आदि

1.5.5.2.1 :- चार्टर स्कूल एवं मेगनेट स्कूल –

चार्टर स्कूल वे स्कूल हैं जो कि स्वतंत्र हैं व शिक्षक, माता-पिता या किसी संस्थान द्वारा किसी क्षेत्रिय समुदाय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये खोले जाते हैं। इन स्कूलों का खास केन्द्र बिन्दु तकनीकी कोशल या संगीत होते हैं। इसके अलावा यह स्कूल ऐसे बच्चे जो घर में रह कर अध्ययन करना चाहते हैं, के लिये भी दृश्य शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। मेगनेट स्कूल साठ से सत्तर के दशक में इन्हें खास स्थान मिला इन विद्यालयों में विशेष कोशल को बढ़ावा देने हेतु खास व विशेष कार्यक्रम बनाये जाते हैं। यह स्कूल किसी खास क्षेत्र के उत्कृष्टता के केन्द्र कहे जाते हैं। इन दोनों ही प्रकार के स्कूलों में कक्षाये कम होती हैं व पाठ्येत्तर गतिविधियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है।

1.5.5.2.2 – विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय

ऐसे बालक व किशोर जिनमें अधिगम निर्योग्यता या अधिगम से संबंधित समस्या पायी जाती है साथ ही शारीरिक व व्यवहारिक अवरोध वाले बच्चों के लिये उनकी आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम बनाये जाते हैं। जिनमें व्यक्तिगत पाठ योजनाएँ, विशेष परामश, शारीरिक शिक्षा, वाक चिकित्सा आदि प्रमुख हैं। इन सभी का उपयोग उन बच्चों की मेडिकल कन्डीशन व अधिगम निर्योग्यता के कारण आयी बाधा को दूर कर उन्हें सीखने हेतु प्रेरित करने के लिये किया जाता है।

1.5.5.2.3 – स्वतंत्र निजी विद्यालय

स्वतंत्र निजी विद्यालय वह विद्यालय है जो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये विद्यालय सामान्य तौर पर अकादमिक व खेल से संबंधित उपलब्धियों पर जोर देते हैं विद्यार्थियों की खिलाड़ी होने की योग्यता व अकादमिक योग्यता उनके प्रवेश का आधार होती है। कक्षाएँ छोटी व पाठ्येत्तर गतिविधियाँ भरपूर होती हैं। जिससे की बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा मिल सकें।

1.5.5.2.4 – उपचारात्मक विद्यालय

यह विद्यालय पूरे सत्र या साल के लिये नहीं चलाये जाते हैं। बल्कि पूरी गर्मियाँ या मई के 6 से 8 हफ्ते इसके लिये निर्धारित किये जाते हैं। बाहरी क्षेत्रों का चुनाव किया जाता है। यह विद्यालय उन बच्चों या किशोरों की सहायता करते हैं जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर हैं, जिनमें वस्तु स्थिति का सामना करने की बजाय पलायन करने के गुण हैं व शैक्षिक दृष्टि से भी पिछड़े हुये हैं। समूह चिकित्सा द्वारा समूह अंतर्क्रिया द्वारा इन बच्चों में सकारात्मकता व जिम्मेदारी का भाव जगाने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुसार उनमें संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर भावात्मक विकास के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है।

1.5.5.2.5 – भावात्मक विकास हेतु बोर्डिंग स्कूल

यह विद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये सुनिश्चित किया गया है जो भावात्मक, मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक रूप से कमजोर हैं। आत्म सम्मान का कम होना या अपने प्रति नकारात्मक विश्वास ही इस समस्या की जड़ है। इसे दूर करने के लिये विद्यार्थी की खास मदद की जाती है। व्यक्तिगत व समूह चिकित्सा व परामर्श का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति विशेष हेतु ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है। जिससे उसे सीखने में निर्णय लेने में कोशल निर्माण में सहायकता मिल सकें, व संवेगात्मक स्थिरता प्राप्त हो सकें।

वैकल्पिक विद्यालय व उनके सहारे के द्वारा विद्यार्थी भी एक नया विश्वास जगाने का कार्य किया जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद परिवार की सकारात्मकता व विश्वास विद्यार्थी के लिये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

गतिविधि –

वैकल्पिक विद्यालय की एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करें, विचार करें कि यह विद्यालय क्या इनके उद्देश्यों की पूर्ती करने में सक्षम है ?

अपनी प्रगति की जाँच करें,

प्रश्न 1 वैकल्पिक विद्यालय क्या है ?

प्रश्न 2 वैकल्पिक विद्यालयों की क्या आवश्यकता है ?

1.6 सारांश

- ❖ 02 दिसम्बर 1990 को विश्व के 159 देशों के प्रतिनिधियों ने बच्चों के विशेष अधिकारों को स्वीकृती दी, जैसे जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि।
- ❖ 20 नवम्बर 1989 में संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने बच्चों के अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में 54 अनुच्छेद हैं जहाँ पर केवल शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- ❖ वर्तमान भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से व आर्थिक दृष्टि से लड़कियों की स्थिति इस तरह की है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिये सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों की शिक्षा को विशेष ध्यान देने वाले समूह में रख गया है।
- ❖ वंचित बालकों की अक्षमता उनकी स्वयं की ना होकर वातावरण की है अतः वातावरण में सुधार ही उनकी शिक्षा का उद्देश्य व आधार है।
- ❖ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड नाम दिया गया है। इन बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से इन्हें विशेष फोकस समूह में रखा गया है।
- ❖ वैकल्पिक विद्यालय अर्थात् पारम्परिक शिक्षा से भिन्न विद्यालय जिसकी संरचना, पाठ्यक्रम, शैक्षिक उद्देश्य छात्रों की आवश्यकता के आधार पर बनाये जाते हैं।

1.7 – अपनी प्रगति की जाँच करें :-

- प्रश्न 1 – बाल अधिकार क्या है ? समझाये।
- प्रश्न 2 – बाल अधिकार अभिसमय से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या करें।
- प्रश्न 3 – बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करें।
- प्रश्न 4 – विकलांग/विशेष योग्यता वाले बच्चों के शैक्षिक प्रावधानों की चर्चा करें।
- प्रश्न 5 – वंचित बालक कितने प्रकार के हैं ? चर्चा करें।
- प्रश्न 6 – बाल श्रम क्या है ? इसे दूर करने के उपायों पर लेख लिखें।
- प्रश्न 7 – वैकल्पिक विद्यालय क्या है ? इसकी आवश्यकता पर लेख लिखें।

1.8 संदर्भ

- ❖ जीत, योगेन्द्र भाई “ शिक्षा में नवाचार और ” नवीन प्रवृत्तियाँ विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
- ❖ भारद्वाज रामदेव “ राजनय एवं मानव अधिकार ” मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अमादमी, भोपाल (2011)
- ❖ जीत, योगेन्द्र “ शिक्षा में नवाचार और नवीन प्रवृत्तियाँ ” विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

- ❖ पचौरी, गिरीश " शिक्षा के सामाजिक आधार " आर लाल बुक डिपो, मेरठ (2006)।
- ❖ शास्त्री, के.एन. " उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा " अर्जुन पब्लिशिंग हाउस (2008)।
- ❖ पाण्डेय, रामशकल, मिश्र, करुणाशंकर " भारतीय शिक्षा " की समसामयिक समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर।
- ❖ मित्तल, एम.एल. " शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार " इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ (2005)।
- ❖ सक्सेना, एन.आर. स्वरूप चतुर्वेदी शिक्षा " उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक " आर.लाल बुक डिपो, मेरठ (2006)
- ❖ त्यागी, गुरुसरन दास " भारत में शिक्षा का विकास " विनोद पुस्तक मंदिर आगरा (2006)
- ❖ पाण्डेय, के.पी. " उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक " आर.लाल बुक डिपो मेरठ (2004)
- ❖ अग्रवाल, जे.सी. " उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक " अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा (2009)
- ❖ मदान, पूनम " भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएँ एवं मुद्दे " अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा (2015)
- ❖ बलवन्त, राणा " उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक " विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा (2014)
- ❖ शर्मा, डी.एल. " उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक " आर.लाल बुक डिपो, मेरठ (2007)